भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
12.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1551 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों की मशीनीकृत सफाई

1551. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे स्टेशनों पर चल रही मशीनीकृत सफाई का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इसे टाइलों/कोटा पत्थरों से सुसज्जित अनुकूल सतहों वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल ने देश भर के प्रमुख स्टेशनों पर समुचित आरोग्यता, साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यंत्रीकृत सफाई शुरू कर दी है।

यंत्रीकृत सफाई गतिविधियों में मुख्यतः प्लेटफॉर्मों, परिचलन क्षेत्रों, कॉनकोर्स, प्रतीक्षालयों, पैदलपार पुलों और अन्य यात्री संपर्क क्षेत्रों की सफाई के लिए हाई प्रेशर जेट मशीन, राइड-ऑन स्वीप मशीन, वाक बिहाईंड स्क्रबर मशीन, वेट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, एकल डिस्क स्क्रबर आदि का उपयोग शामिल है। यंत्रीकृत सफाई आरसीसी सतहों, ग्रेनाइट प्लेटफॉर्मों और टाइल वाले क्षेत्रों सहित ऐसे सभी प्रकार के सतहों पर की जाती है जहाँ ऐसी मशीनों का उपयोग तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

थोड़े गैर-समतल सतहों के लिए राईड ऑन रोड स्वीपर मशीन, हाई प्रेशर जेट मशीन आदि का उपयोग किया जा रहा है। गैर समतल सतहों/संकरी जगहों की सफाई सामान्यतः अनुशंसित

रसायन/सफाई सामग्री सहित झाड़ू, हैंड स्क्रबर, वेट मॉप, वाईपर आदि जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए की जाती है।

स्टेशनों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

- स्टेशन क्षेत्र में बायो-टॉयलेट टैंकों की सफाई को और बेहतर बनाने के लिए, एक नए डिजाइन और स्वदेशी रूप से विकसित न्यूमैटिक सहायक, स्लज निकासी प्रणाली को पायलट आधार पर नियोजित किया गया है।
- स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा और कचरा मुक्त बनाए रखने के लिए समय-समय पर यात्री जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं सहित यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित "रेल मदद" पोर्टल मौजूद है।
- प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों की शुरुआत।
- स्टेशन पर जैव-अपघटनशील और गैर-जैविक अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए दो डिब्बे वाले कचरा पात्र की व्यवस्था।
- प्रमुख स्टेशनों पर कचरा चुनने और कचरा निपटान के ठेकों की व्यवस्था।
- स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए, नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं, और अनियमितताओं के लिए ठेकेदारों पर दंड लगाया जाता है।
- कचरा फैलाने और थूकने पर जुर्माने की व्यवस्था।

****